



“सा विद्या या विमुक्तये” आगरा कॉलेज, आगरा संक्षिप्त परिचय

198 वर्ष पुराने आगरा कॉलेज को उत्तर भारत की प्राचीनतम शिक्षा संस्था होने का गौरव प्राप्त है। सन् 1796 में ग्वालियर के तत्कालीन मराठा शासक महाराजा दौलतराव सिन्धिया ने अपने राज ज्योतिषी पं. गंगाधर शास्त्री को शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु आगरा, मथुरा एवं अलीगढ़ जिलों में जागीरें दान स्वरूप भेंट की थीं। उनकी 1816 में मृत्यु के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार ने 1823 में उस सम्पत्ति से एक विद्यालय के रूप में इस महाविद्यालय की स्थापना की थी।

सन् 1883 तक यह कालेज एक राजकीय महाविद्यालय था। तत्पश्चात् इसका प्रबन्धन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हाथों में सौंप दिया गया, जिसके सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। उनके द्वारा प्रबन्ध समिति का विधि अनुसार गठन होता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कालेज का संचालन करती है। कालेज के ट्रस्ट और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष, आगरा मण्डल के आयुक्त, उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, आगरा एवं सचिव कालेज के प्राचार्य पदेन होते हैं।

आगरा कॉलेज पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और तत्पश्चात् आगरा विश्वविद्यालय (सम्पत्ति डॉ. बी. आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय), आगरा से सम्बद्ध रहा है। सन् 1923 में कालेज के सौ वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन वायसराय महामहिम लार्ड जनरल सर इस्साक ने की थी।

यह महाविद्यालय समय-समय पर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरा है, किन्तु उसने अपनी गरिमामयी परम्पराओं तथा ख्याति को सदैव अक्षुण्ण बनाये रखा है। इसके प्रवेश द्वार सभी धर्मों, जातियों और प्रदेशों के लोगों के लिए सदैव खुले रहे हैं। सन् 1951 में कालेज के 125 वर्ष पूरे होने पर, शतोत्तर रजत जयन्ती समारोह मनाया गया था, जिसको भारतीय गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने मुख्य अतिथि के रूप में सुशोभित किया था। इसी महाविद्यालय को उत्तरी भारत को पहला भारतीय स्नातक एवं उत्तर प्रदेश को पहला विधि स्नातक देने का गौरव प्राप्त है।

आगरा कॉलेज में कला संकाय, ललित कला संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय के अतिरिक्त स्वचित्त पोषित योजनान्तर्गत वाणिज्य संकाय, जैविक विज्ञान संकाय, पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय, शिक्षा संकाय, प्रबन्धन संकाय एवं इंजीनियरिंग संकाय में शिक्षण कार्य होता है। आगरा कॉलेज में सभी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से है केवल इंजीनियरिंग संकाय की संबद्धता डॉ. ए.के.टी.यू., लखनऊ से है।

महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों (सात छात्रावास) की भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं। कालेज का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्र/छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर, उनको कर्मठ तथा विवेकशील बनाना है।

लक्ष्य एवं दृष्टिकोण

- (1) युवाओं को कला, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं विधि आदि की शिक्षा प्रदान करना, जिससे उनकी प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रहित व विश्व कल्याणार्थ सार्थक हो।
- (2) विद्यार्थियों में नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, उच्च वैज्ञानिक क्षमता एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धान्त एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना।
- (3) छात्रों को जाति, धर्म, लिंग एवं आर्थिक भेदभाव रहित, उच्च शिक्षा प्रदान करना तथा सभी को शिक्षा एवं प्रगति के समान अवसर प्रदान करना।

शिक्षक सूची प्राचार्य

डॉ. शीलवन्त कुमार मिश्र, एम.एससी., डी.फिल.(इलाहाबाद)

कला संकाय

1. हिन्दी विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) सुनीता रानी, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. (श्रीमती) ममता सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. चन्द्रशेखर शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. वन्दना, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. (श्रीमती) शैफाली चतुर्वेदी, एम.ए., पीएच.डी. (लखनऊ)
6. डॉ. विजय कुमार सिंह, एम.ए. (हिन्दी एवं राज.), पीएच.डी. (वाराणसी)
7. डॉ. भूपाल सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (दिल्ली)
8. श्रीमती संध्या यादव, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
9. डॉ. सुनीता द्विवेदी, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
10. डॉ. मधु श्रीवास्तव, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
11. डॉ. उमाकान्त चौबे, एम.ए., पीएच.डी. (दिल्ली)

2. अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) अनुराधा गौड़, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. चित्र कुमार गौतम, एम.ए., पीएच.डी., (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) आभा शर्मा, एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट. (आगरा)
4. डॉ. प्रियम अंकित, एम.ए., पीएच.डी. (इलाहाबाद)
5. डॉ. दीपक उपाध्याय, एम.ए. (इलाहाबाद), पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. (श्रीमती) शादां जाफरी, एम.ए. (लखनऊ), पीएच.डी. (आगरा)
7. डॉ. विवेक भटनागर, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
8. डॉ. धनंजय कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल. (बिहार)

3. संस्कृत विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) कमलेश वर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., डी.लिट. (आगरा)
2. डॉ. रूचि पाण्डेय, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. कमलेश शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)

4. दर्शनशास्त्र विभाग

1. डॉ. उमेश चन्द्रा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. राजीव द्विवेदी, एम.ए., डी. फिल. (इलाहाबाद)

5. मनोविज्ञान विभाग

1. श्रीमती रचना सिंह, एम.ए. (आगरा), एम.फिल. (मेरठ)
2. डॉ. (श्रीमती) पूनम चाँद, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. जय प्रकाश, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
4. डॉ. (कु.) अंशु चौहान, एम.ए. (आगरा), एम. फिल., पीएच.डी. (राजस्थान)

5. डॉ. शिव कुमार सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
6. डॉ. (श्रीमती) दिपाली सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)

6. राजनीतिशास्त्र विभाग

1. डॉ. अरूणोदय बाजपेई, एम.ए. (झाँसी), एम.फिल. (मेरठ), पीएच.डी. (दिल्ली)
2. डॉ. (श्रीमती) मृणाल शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) सीमा सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. सन्तोष सिंह, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.
5. डॉ. दिग्विजय नाथ राय, एम. ए. (वाराणसी), पीएच.डी. (इलाहाबाद)
6. श्री शशिकान्त पाण्डेय, एम.ए.
7. डॉ. स्वदेश कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
8. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, एम.ए.
9. श्री विकास कुमार सिंह, एम.ए.

7. इतिहास विभाग

1. श्री महावीर सिंह, एम. ए. (आगरा)
2. डॉ. यशोदानन्द त्रिपाठी, एम. ए., एम.फिल., पीएच. डी. (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) निशा राठौर, एम. ए. पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. पीयूष चौहान, एम. ए., एम.फिल, पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. गीता यादवेन्दु, एम.ए., पीएच. डी. (आगरा)
6. डॉ. अनुराग पालीवाल, एम.ए., पीएच. डी. (आगरा)

8. अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) दीपा रावत, एम. ए., पीएच. डी. (आगरा)
2. डॉ. (श्रीमती) सुनीता गुप्ता, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) जयश्री भारद्वाज, एम. ए., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. शरद चन्द भारद्वाज, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. नीरजा माहेश्वरी, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. शैलेन्द्र कुमार, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
7. श्री मनीष कुमार गोस्वामी, एम.ए.

9. समाजशास्त्र

1. डॉ. (श्रीमती) मीरा सिंह, एम.ए., पीएच.डी. (वाराणसी)
2. श्री महोदय सिंह, एम.ए. (सागर)

10. सैन्य अध्ययन विभाग

1. डॉ. राजकिशोर सिंह, एम.ए., पीएच. डी. (गोरखपुर)
2. डॉ. सत्यपाल सिंह, एम.एससी. (ग्वालियर), पीएच.डी. (मेरठ) (अवकाश पर)
3. डॉ. रामविजय सिंह, एम. ए., पीएच.डी. (जौनपुर)

ललितकला संकाय

1. चित्रकला विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) इन्दु जोशी, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. (श्रीमती) मीना कुमारी, एम. ए., पीएच.डी. (बरेली)
3. श्रीमती मनीषा दोहरे, एम.ए.
4. डॉ. (श्रीमती) सुनीता यादव, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)
5. श्री दिनेश कुमार मौर्य, एम.ए.

2. संगीत विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) रीता देव, एम. म्यूजिक, डी. म्यूजिक (वाराणसी)
2. डॉ. आंशवना सक्सैना, एम.ए., पीएच.डी. (बुन्देलखण्ड)
3. डॉ. (श्रीमती) काजल शर्मा, एम.ए., पीएच.डी. (आगरा)

विज्ञान संकाय

1. भौतिक विज्ञान विभाग

1. डॉ. धर्मवीर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. कमलेश कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) सुनीता गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी. (अलीगढ़)
4. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. श्री धर्मपाल सिंह, एम.एससी., एम.फिल. (आगरा)
6. डॉ. भूपेन्द्र कुमार चिकारा, एम.एससी., पीएच.डी. (मेरठ)
7. श्री संजय कुमार, एम.एससी., एम.फिल. (आगरा)
8. श्री राजकुमार वर्मा, एम.एससी. (मेरठ)
9. डॉ. गौरांग मिश्र, एम.एससी. (लखनऊ), पीएच.डी. (आगरा)
10. डॉ. कौशलेन्द्र प्रसाद तिवारी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. बृजेन्द्र कुमार शर्मा, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. संध्या मान, एम.एससी. (बरेली), पीएच.डी. (आगरा)
13. श्रीमती अल्पना ओझा, एम.एससी. (कानपुर)
14. श्री आनन्द पाण्डेय, एम.एससी., एम.फिल. (आगरा)
15. डॉ. नीरा शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
16. डॉ. रंधीर सिंह इन्दोलिया, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)
17. डॉ. विक्रम सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
18. डॉ. चन्द्रवीर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
19. श्री रंजीत सिंह, एम.एससी.

2. रसायन विज्ञान विभाग

1. डॉ. शीलवन्त कुमार मिश्र, एम.एससी., डी. फिल. (इलाहाबाद)
2. डॉ. मनोज कुमार रावत, एम.एससी., पीएच.डी., डी.एससी. (आगरा)
3. डॉ. (श्रीमती) क्षमा चतुर्वेदी, एम.एससी., डी.फिल. (इलाहाबाद)
4. डॉ. (श्रीमती) मीरा शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. (श्रीमती) संचिता सिंह, एम.एससी. (मेरठ), एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. (श्रीमती) वन्दना द्विवेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (गोरखपुर)
7. डॉ. संजय कुमार राय, एम.एससी., पीएच.डी. (वाराणसी)
8. डॉ. कौशलेश्वर धर मिश्र, एम.एससी., पीएच.डी. (गोरखपुर)
9. डॉ. (कु.) कल्पना चतुर्वेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (गोरखपुर)
10. डॉ. विपिन कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (कुरुक्षेत्र)
11. डॉ. आशीष कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. (बरेली)

12. डॉ. विनीता गुप्ता, एम.एससी., एम.फिल. (इन्दौर), पीएच.डी. (आगरा)
13. डॉ. विनोद कुमार, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
15. डॉ. (श्रीमती) स्मिता चतुर्वेदी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
16. डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
17. डॉ. सौवीर सिंह खिरवार, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
18. डॉ. अवधेश जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
19. डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
20. डॉ. भूपेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
21. डॉ. महेन्द्र सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
22. डॉ. अमित चौधरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
23. डॉ. राजेश चन्द्र वर्मा, एम.एससी., एम.डी., पीएच.डी. (आगरा)

3. वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ. प्रकाशवीर झा, एम.एससी., पीएच.डी. (वाराणसी)
2. डॉ. प्रभात कुमार यादव, एम.एससी. (अलीगढ़), पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. जौली सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. कृष्ण कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. अशोक कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (पटना)
6. डॉ. श्याम गोविन्द सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
7. डॉ. सारिका यादव, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
8. डॉ. अनुराधा नेगी, एम.एससी., पीएच.डी. (श्रीनगर गढ़वाल)
9. डॉ. आशीष तेजस्वी, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)

4. जन्तु विज्ञान विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) सुजाता यादव, एम.एससी., पीएच.डी. (वाराणसी)
2. डॉ. विजय कुमार सिंह, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (वाराणसी)
3. डॉ. (कु.) अमिता सरकार, एम.एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (मेरठ)
4. डॉ. (श्रीमती) सुमन कपूर, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. डॉ. विश्वकान्त गुप्त, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
6. डॉ. उमेश शुक्ला, एम.एससी., एम.एड., पीएच.डी. (रीवा)
7. डॉ. जीनेश कुमार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
8. डॉ. (श्रीमती) गीता माहेश्वरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
9. डॉ. धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
10. डॉ. श्रीमती सोनल सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. आनन्द प्रताप सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. केशव सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)

5. गणित विभाग

1. डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
2. डॉ. भगवत स्वरूप, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
3. डॉ. सुनील यादव, एम.एससी., एम. फिल., पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. (श्रीमती) मंजू शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
5. श्रीमती सरू कुमारी, एम.एससी., एम. फिल. (मेरठ) (अवकाश पर)
6. डॉ. राजेश जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)

7. डॉ. अतर सिंह, एम.एससी., पीएच.डी. (आगरा)
8. डॉ. रवीन्द्र प्रताप सिंह, एम. एससी., एम.फिल., पीएच.डी. (आगरा)
9. डॉ. अवनीश तिवारी, एम. एससी., पीएच.डी. (आगरा)

6. सांख्यिकी विभाग

1. श्री दिग्विजय पाल सिंह, एम. स्टेट., एम. फिल. (दिल्ली)

विधि संकाय

1. डॉ. दुर्गाचरण मिश्रा, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
2. श्री मोहम्मद मुअज्जम खाँ, एलएल.एम. (अलीगढ़)
3. डॉ. शितिकंठ दुबे, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
4. डॉ. उमेश कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)
5. श्री शोभनाथ जैसल, एलएल.एम. (वाराणसी)
6. डॉ. राकेश कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (वाराणसी)
7. डॉ. सरोज कुमार, एलएल.एम., पीएच.डी. (वाराणसी)
8. श्री सुधेन्द्र नाथ, एलएल.एम. (वाराणसी)
9. डॉ. ओमप्रकाश राय, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा) (अवकाश पर)
10. डॉ. अमरनाथ, एलएल.एम. (वाराणसी), पीएच.डी. (आगरा)
11. डॉ. मनीष शंकर तिवारी, एलएल.एम. (गोरखपुर), पीएच.डी. (आगरा)
12. डॉ. (श्रीमती) रीता निगम, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)
13. श्री ऋजु निगम, एलएल.एम. (आगरा)
14. श्री संजीव कुमार शर्मा, एलएल.एम. (आगरा)
15. डॉ. गौरव कौशिक, एलएल.एम. (अलीगढ़), पीएच.डी. (आगरा)
16. श्री फिरोज अंसारी, एलएल.एम. (जौनपुर)
17. श्री शिव बीर सिंह यादव, एलएल.एम. (रोहतक)
18. श्रीमती निधि शर्मा, एलएल.एम. (बरेली)
19. श्रीकृष्णवीर यादव, एलएल.एम. (आगरा)
20. कु. अर्चना यादव, एलएल.एम. (मेरठ)
21. डॉ. अजहर अली खॉन, एलएल.एम., पीएच.डी. (आगरा)

शारीरिक शिक्षा विभाग

1. डॉ. अमित रावत, एम.पी.ई., पीएच.डी. (ग्वालियर)
2. श्री रविशंकर सिंह, एम.पी.एड.
3. श्री हेमराज, एम.पी.एड.
4. श्री नितेश कुमार शर्मा, एम.पी.एड.
5. श्री धर्मवीर सिंह यादव, एम.पी.एड.
6. डॉ. लोकेन्द्र पाल सिंह चौहान, एम.पी.ई., पीएच.डी. (ग्वालियर)

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत

वाणिज्य संकाय

1. डॉ. बिजेन्द्र कुमार अग्रवाल, एम.कॉम., पीएच.डी.
2. डॉ. अश्विनी शर्मा, एम.कॉम., पीएच.डी.

3. डॉ. आदेश कुमार तिवारी, एम.कॉम., पीएच.डी.
4. डॉ. मनोज कुमार गुप्ता, एम.कॉम., पीएच.डी.
5. डॉ. सतीश चन्द, एम.कॉम., पीएच.डी.
6. डॉ. नीरज मनचंदा, एम.कॉम., पीएच.डी.
7. डॉ. रूपेश दीक्षित, एम.कॉम., पीएच.डी.
8. डॉ. पुनीत मिश्रा, एम.कॉम., पीएच.डी.

जैविक विज्ञान संकाय (बायोटेक)

1. डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय, एम.एससी., पीएच.डी.
2. डॉ. संध्या अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
3. डॉ. दिव्या अग्रवाल, एम.एससी., पीएच.डी.
4. डॉ. सत्यदेव शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी.
5. डॉ. प्रशान्त पचौरी, एम.एससी., पीएच.डी.
6. डॉ. यशस्विता चौहान, एम.एससी., पीएच.डी.
7. डॉ. नीता रानी, एम.एससी., पीएच.डी.

पत्रकारिता एवं जन संचार संकाय

1. डॉ. महेन्द्र सिंह, एम.जे.एमसी., एम.फिल., पीएच.डी.

विधि संकाय - बी.ए.एलएल.बी.

1. श्री रणवीर सिंह, एल.एल.एम.
2. डॉ. गीता उपाध्याय, एम.ए. (समाजशास्त्र), पीएच.डी.
3. डॉ. रमेश सिंह, एम.ए. (समाजशास्त्र), पीएच.डी.
4. श्री प्रमोद कुमार सिंह, एम.ए. (इतिहास)

शिक्षा संकाय

1. डॉ. (श्रीमती) रमा सिसौदिया, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
2. डॉ. (श्रीमती) ज्योति द्विवेदी, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
3. श्रीमती प्रीती माहेश्वरी, एम.ए., एम.एड.
4. श्रीमती ममता सिंह, एम.ए., एम.एड.
5. श्रीमती दीक्षा शर्मा, एम.कॉम, एम.एड. एम.फिल.
6. श्रीमती नीलम मिश्रा, एम.ए., एम.एड.
7. श्रीमती सुषमा गोयल, एम.ए., एम.एड.
8. श्रीमती प्रिया कुलश्रेष्ठ, एम.एससी., एम.एड.
9. श्रीमती श्वेता पचौरी, एम.एच.एससी., एम.एड.
10. श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, एम.एससी., एम.एड.
11. श्री बृजेश सिंह, एम.ए., एम.एड.
12. डॉ. रंजना, एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
13. श्री आनन्द शर्मा, एम.ए., पीएड. (शारीरिक शिक्षा)
14. श्री राज प्रकाश सक्सैना, एम.ए. (चित्रकला)
15. डॉ. (श्रीमती) कल्पना शर्मा, एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी. (संगीत)

मुख्य कार्यालय

1. रिक्त
2. श्री एस. के. सोनकर, एम.कॉम
3. रिक्त
4. श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, बी.ए., एलएल.बी.
5. रिक्त
6. रिक्त
7. श्री अनिल नारायण खण्डेलवाल, एम.कॉम.
8. कु. ऋतु शर्मा, बी.ए.
9. श्री विनोद कुमार सेमवाल, बी.ए.
10. श्री राजीव सिंह, बी.ए.
11. श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, एम.ए.
12. श्री मोहन सिंह वर्मा, बी.ए.
13. श्री अंकित दीक्षित, एम. कॉम
14. श्रीमती शोभा शर्मा, बी.ए.
15. श्री गौरव शर्मा, बी.ए.
16. श्री ब्रिजेश हरित, बी.एससी., एम.ए.
17. कु. नीलम, एम. ए.
18. श्री हर्देश चौधरी, बी.ए., एलएल.बी.
19. श्रीमती श्रुति त्रिपाठी, एम.ए.
20. श्री एस.एस. वैद्य, बी.ए.
21. श्रीमती राजकुमारी, बी.ए.
22. श्री मनीष देव, एम.ए.
23. श्री विक्रम आनन्द, बी.ए.
24. श्री सुशील कुमार, बी.ए.
25. श्री गौरी शंकर, बी.कॉम.
26. श्री आकाश सौनी

लेखाधिकारी
लेखाकार/बर्सर (कार्यवाहक)
वैयक्तिक सहायक प्राचार्य
कार्यालय अधीक्षक (कार्यवाहक)
वरिष्ठ सहायक
वरिष्ठ सहायक
वरिष्ठ सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक

पुस्तकालय

1. रिक्त
2. रिक्त
3. डॉ. (श्रीमती) मीनू, बी.ए., बी.लिब.एससी., बी.एड., पीएच.डी.
4. श्रीमती आशा शर्मा, एम.ए.
5. श्रीमती रागिनी कुमारी, इण्टरमीडिएट
6. श्री मनीष मुद्गल, बी.एससी.
7. कुमारी एकता गुप्ता, एम.कॉम., एम.ए.
8. श्री सुनील कुमार, बी.एससी., एम.ए. इतिहास (नेट), बी.लिब.
9. श्री शनि सिंह, बी.ए.
10. श्री प्रदीप परमार, बी.टैक.

ग्रन्थालयी
केटलागर
वरिष्ठ सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक
सहायक

छात्रावास कार्यालय

1. श्री राजीव कुमार शर्मा

सहायक

प्रयोगशाला सहायकभौतिक विज्ञान विभाग

1. श्री कृष्णकान्त, बी.एससी.
2. श्री गौरव त्रिवेदी, एम. एससी.
3. श्री जगदीश प्रसाद, इण्टरमीडिएट
4. श्री सुबोध श्रीवास्तव, एम.ए., बी.एड.

प्रयोगशाला सहायक
लैब टैक्नीशियन
प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक

रसायन विज्ञान विभाग

1. श्री राजेश कुमार
2. श्री अशोक कुमार
3. श्री विक्रम सिंह, इण्टरमीडिएट
4. श्री सुरेन्द्र कुमार, बी.कॉम.

प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक

वनस्पति विज्ञान विभाग

1. श्री उमाशंकर मिश्र, एम.ए., एलएल. बी.
2. श्री नितिन कुमार, इण्टरमीडिएट

प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक

जन्तु विज्ञान विभाग

1. श्री सत्य प्रकाश, बी.ए.
2. श्रीमती शाल्वी सक्सेना, बी.एससी., एम.ए.
3. श्रीमती शिप्रा बिसारिया, बी.एससी., एम.ए.

प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक
प्रयोगशाला सहायक

गणित विभाग

1. रिक्त

सहायक

मनोविज्ञान विभाग

1. श्री सोनू, इण्टरमीडिएट
2. रिक्त

प्रयोगशाला सहायक
सहायक

संगीत विभाग

1. श्री मुरली मनोहर तिवारी, एम.ए. प्रभाकर
2. श्री राधेलाल, एम.ए. प्रभाकर

तबला वादक
तबला वादक

सैन्य अध्ययन विभाग

1. रिक्त

सहायक

डिस्पेंसरी

1. श्री अशोक कुमार, डी.फार्मा.

फार्मसिस्ट

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 30.06.2020 द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली सत्र 2020-21

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग तथा विधि संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों / विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के आधार पर समस्त कक्षाओं में प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जायेंगे।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।
3. सत्र 2020-2021 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश Admission Monitoring System (प्रवेश अनुश्रवण प्रणाली) के माध्यम से किये जायेंगे इस सरल प्रणाली के अन्तर्गत अभ्यर्थी पाँच चरणों क्रमशः (1) पंजीयन (2) वेब रजिस्ट्रेशन (3) फार्म भरना (4) पाठ्यक्रम चुनना (5) फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके छठे चरण में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है। वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी योग्यतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। जिसके लिए उसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं भरना होगा। सभी आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के लिए सवतंत्र हैं परन्तु वह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे जो Admission Monitoring System की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbrau.org.in के पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जायेंगी।
5. महाविद्यालय, प्रवेशार्थी के लिए प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनायें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
6. Admission Monitoring System में शुल्क निर्धारण के लिए प्रवेश समिति द्वारा कुलपति जी को अधिकृत किया गया। कुलपति जी ने कोविड-19 महामारी और उसके कारण गहराये आर्थिक संकट तथा छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुये यह ऐतिहासिक निर्णय लिया कि Admission Monitoring System की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी से केवल 100 रु. शुल्क वेब रजिस्ट्रेशन के रूप में लिया जायेगा।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे।
- (ब) विवरण पुस्तिका में सत्र 2021-22 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 4 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) यथा-श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अन्तर्गत ही) तथा 10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगे। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।
- (स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य रु. 250/- रूपया नकद आगामी सत्र 2020-21 के लिए रखा जायेगा।
- (द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेबसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा, जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा महाविद्यालय की वेबसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्प्यूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है।
- (य) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रवेशोपरांत किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो वह पूर्व में लिये गये प्रवेश को आवेदन देकर रद्द कर सकता है और दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। इस परिस्थिति में उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही महाविद्यालय द्वारा वापस किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल आवासीय संस्थानों/अनुदानित महाविद्यालयों में ही लागू होगी।
2. (अ) सत्र 2020-21 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के "त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम" विधि संकाय के "पंचवर्षीय पाठ्यक्रम" गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ साइसेज, इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष "चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम" में ही प्रवेश दिये जायेंगे।
- (ब) एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम में "प्रथम वर्ष" में प्रवेश हेतु 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 05 प्रतिशत अंक की छूट होगी।
- (स) इसी तरह एल0एल0बी0/बी0ए0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के छात्र/छात्राओं को 45 प्रतिशत, आरक्षित पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को 40 प्रतिशत अंकों पर प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।
- (द) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 24 अगस्त, 2020 होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो,

वह कक्षा में स्थान उपलब्ध होने की दशा में परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन बाद तक प्रवेश ले सकेंगे।

महाविद्यालय खुलने की तिथि : शासनादेश के अनुसार

1. स्नातक प्रथम वर्ष में (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 25 जलाई, 2020
2. स्नातक सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 24 अगस्त, 2020
3. स्नातक प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन-पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 सितम्बर, 2020
4. स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष
5. पंजीकरण/प्रवेश की अन्तिम तिथि : 01 सितम्बर, 2020
स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के पठन-पाठन
6. प्रारम्भ करने की तिथि : 03 सितम्बर, 2020

उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों की सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्ण छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।
- (स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी अर्हता परीक्षा में दो वर्षों से अधिक का अन्तराल है तो ऐसी दशा में आवासीय पाठ्यक्रमों के निदेशक/विभागाध्यक्ष तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह प्रवेश कर सकते हैं परन्तु उन्हें छात्र/छात्रा से यह शपथ-पत्र लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें:-
 1. किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता का दोषी नहीं पाया गया है।
 2. किसी भी न्यायालय में नैतिक अपराध में दण्डित न हुआ हो।
 3. किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो।
 4. कही सेवारत न हो।
 ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश में विभागाध्यक्ष/प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।
- (द) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
4. नियमानुसार एलएल.बी. 6 वर्ष, बी.ए.एलएल.बी. 8 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 7 वर्ष, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य 6 वर्ष परास्नातक अधिकतम 5 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय- 19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall

be the Sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall, however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

- (1) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
- (2) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिये विचाराधीन हो।

6. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी:

1. बी.एससी (फिजीकल साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एससी (लाइफ साइंस) के लिए इण्टरमीडिएट बायोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
3. बी.एससी (कृषि) के लिए कला को छोड़कर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. बी.ए. / बी.कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
5. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Level Along with revised scheme of studies) (संलग्नक-1)

- (ब) कृषि / विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.एससी.(कृषि)/ बी.एससी. परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमत्य होगी। उ.प्र. बोर्ड/ समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाइंट / मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होंगे।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे:-

- (i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 70 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।
- (ii) शेष 30 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र/छात्रा भी सम्मिलित है, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के क्रमांक (प) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।
- (iii) शासनादेश संख्या जी.आई. 35/सत्तर - 1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अर्न्तगत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
- (iv) क्रमांक-ii तथा क्रमांक-iii में रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रमांक-प के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।
- (अ) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेंट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा

स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- I. अधिष्ठाता- छात्र कल्याण।
- II. प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य चक्रानुक्रमानुसार।
- III. एस.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक।

नोट : कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(vii) समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

शैक्षणिक अंकों की गणना :

7. (क) स्नातक कक्षायें :

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों / ग्रेड दोनों

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों / ग्रेड का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट :

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:-

(क) प्रथम विजेता होने के लिए -	5 अंक
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए -	4 अंक
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए -	3 अंक
(घ) प्रतिभाग करने के लिये -	2 अंक
2. एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट/ जी-2 उत्तीर्ण कैंडिडेटों को

अथवा

- एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण कैंडिडों को 6 अंक
अथवा
एन.सी.सी. कैंडिड जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
3. स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) 5 अंक
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को 5 अंक
5. बी.कॉम (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर बोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो।
- (ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :
1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने :-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 8 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 7 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 6 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 3 अंक
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए :-
(क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक
(ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिये - 4 अंक
(ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिये - 3 अंक
(घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिये - 2 अंक
3. एन.सी.सी. "सी" सर्टिफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैंडिडों को 8 अंक
अथवा
एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट/जी-1 प्रमाण-पत्र धारक कैंडिडों को 6 अंक
अथवा
एन.सी.सी. कैंडिड जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है, 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक
4. एन.एस.एस. में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए। 5 अंक
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक
अथवा
महाविद्यालय स्तर रोवर्स रेंजर्स सदस्य को जिसने अन्तर्विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो।
(क) प्रथम विजेता होने के लिये - 5 अंक

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| (ख) द्वितीय विजेता होने के लिये - | 4 अंक |
| (ग) तृतीय विजेता होने के लिये - | 3 अंक |
| (घ) प्रतिभाग करने के लिये - | 2 अंक |

नोट : उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्वचित पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।
17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित)
10 अंक
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी.एस.सी.) में कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में
17 अंक

- टिप्पणी : 1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा। यदि घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट:-

1. किसी व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।
 2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स कौन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन.सी.सी. अधिकारी/एन.एस.एस. अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
- (ब) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं

करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृति सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी एवं स्नातकोत्तर कक्षा में प्रयोगात्मक विषय में 60 छात्र एवं गैर प्रयोगात्मक विषय में 80 छात्रों के प्रवेश का अधिकार होगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

- (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - (ध) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।
9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे।
 - (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
 - (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेबसाइट पर सूचनाओं/ सूचियों की अद्यतन "अप-टू-डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें। उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

- 10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- 11. अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपने इंटर की परीक्षा यू.पी. बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो मूल निवास प्रमाण पत्र भरने की बाध्यता नहीं है। किसी अन्य बोर्ड/प्रांत द्वारा इंटर परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश में निवास प्रदर्शित किया हो तो प्रवेश प्रक्रिया के समय मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कुलसचिव

कॉलेज में प्रवेश के नियम

1. महाविद्यालय में सत्र 2021-22 से प्रवेश चाहने वाले छात्र/छात्रायों कॉलेज (Website- agracollegeagra.org.in) से लिंक ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आवेदन करेंगे।
2. आवेदन पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन कर Payment Gateway माध्यम से ₹0 250/- कॉलेज विवरणिका व ₹0 2/- कॉलेज पंजीकरण के अनुसार ₹0 252/- महाविद्यालय खाते में जमा करेंगे तथा कॉलेज विवरणिका डाउनलोड करेंगे। तत्पश्चात आवेदन पत्र निर्देशों के अनुसार पूर्ण करेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण होने के उपरान्त फाइनल जमा (Submit) कर उसका एक प्रिन्ट समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करेंगे।
3. (अ) कॉलेज में प्रवेश नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार होंगे।
(ब) प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद प्रवेशाधिकारी को दिखाकर नोट करवाना अति आवश्यक है अन्यथा प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
4. अनुत्तीर्ण छात्र किसी भी स्थिति में प्रविष्ट नहीं किये जायेंगे।
5. कला संकाय में बी.ए. (प्रथम वर्ष) के प्रवेश आवेदन-पत्र में भरे गये विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. बी.ए. (द्वितीय/तृतीय वर्ष), बी.एससी. (द्वितीय/तृतीय वर्ष), एम.एससी. (द्वितीय वर्ष) एवं एलएल.बी. की विभिन्न वर्षों की कक्षाओं में अन्य कॉलेजों से आये हुए छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनायें कॉलेज सूचना-पट पर ही सूचित की जायेंगी, छात्र-छात्राएँ सूचना-पट देखते रहें।
8. प्रवेश शुल्क जमा कर देने से ही प्रवेश नहीं माना जायेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा, जब विद्यार्थी के प्रवेश फार्म पर प्रवेश अधिकारी 'प्रविष्ट' शब्द अंकित कर दे तथा विधिवत् प्रवेश सूची में नाम आ जाये और प्रवेशार्थी अपने सभी वांछित प्रमाण-पत्र जमा करा दें। ऐसा न होने पर यदि प्रवेश-पत्र पर आदेश हो भी गये हैं तो भी प्रवेश अप्रभावी होगा।
9. सभी प्रवेश तभी स्थायी माने जायेंगे जबकि विद्यार्थी संतोषजनक चरित्र-प्रमाणपत्र (Character Certificate), प्रवाजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) जमा करा देगा। तिथियों की विज्ञप्ति सूचना पट पर की जायेगी। उक्त प्रमाण-पत्रों को जमा न करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. यदि विद्यार्थी इस कॉलेज में पहले पढ़ चुका है और उसने अपना टी.सी. जमा करा दिया है तो उसे प्रवेश आवेदन-पत्र में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिये तथा उस वर्ष का भी उल्लेख कर देना चाहिये जिसमें टी.सी. जमा किया था।
11. जिन विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत (Private) रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे किसी राजपत्रित अधिकारी से सचचरित्रता का प्रमाण-पत्र दें, जिसमें इन दो बातों का उल्लेख नितांत आवश्यक है-1 जन्मतिथि, 2. गत परीक्षा की श्रेणी।
12. (अ) प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र के साथ विद्यार्थियों को हाईस्कूल तथा उसके आगे की समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य लगानी चाहिए।
(ब) प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिकाएं देखी जायेंगी।
13. प्रवेश के लिए साक्षात्कार की तिथि की सूचना, सूचना पट पर भी लगा दी जायेगी। उस तिथि पर आवेदन-कर्ताओं को सभी आवश्यक मूल प्रपत्रों के साथ आना होगा।
14. जो छात्र और छात्रायें परीक्षाओं में दुर्व्यवहार अथवा कॉलेज में अनुशासनहीनता करते हुए पाये जायेंगे, उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा आगामी सत्र में उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग करते पाये जाने वाले छात्र-छात्राओं को आगामी सत्र में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
15. रेलवे की रियायती टिकटों के लिए रेलवे अधिनियमों के अनुसार ही प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे।
16. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अतिरिक्त अन्य किसी विश्वविद्यालय से आये हुए अथवा इण्टरमीडिएट की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को किसी भी कक्षा में अस्थायी रूप से प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. प्राचार्य को किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश न देने अथवा निरस्त करने का

अधिकार है।

18. प्रवेश सूचना-पत्र केवल साक्षात्कार हेतु योग्य प्रवेशार्थियों को भेजा जायेगा।
19. उपर्युक्त समस्त नियमों के अतिरिक्त डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के उल्लिखित नियम सभी प्रवेशों पर लागू होंगे।
20. छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति का फार्म जमा करना ऑनलाइन पूर्ण करना अनिवार्य है।
21. समस्त प्रवेशित छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय की निर्धारित यूनीफार्म में नियमित रूप से कॉलेज में उपस्थित होना होगा। यूनीफार्म का विवरण निम्नवत है-
छात्र-नीली धारी की शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला स्वेटर/ब्लेजर।
छात्राएँ-नीली धारी का कुर्ता या शर्ट एवं सफेद सलवार या काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला स्वेटर/ब्लेजर।
विधि विभाग
छात्र-सफेद शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला ब्लेजर/स्वेटर।
छात्राएँ-सफेद कुर्ता एवं सलवार या सफेद शर्ट एवं काली पेन्ट। शीतकालीन दिनों में काला ब्लेजर/स्वेटर।

महाविद्यालय के लिये निर्धारित शुल्क सारणी

1. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क

(अ) शैक्षणिक शुल्क:	
(i) बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम.	रु. 11.00 प्रति माह
बी.एससी. (कृषि)	रु. 132.00 वार्षिक
(ii) एम. ए./एम. एससी./एम.कॉम.	रु. 15.00 प्रति माह
एम.एससी. (कृषि)	रु. 180.00 वार्षिक
(iii) बी.एड./एम.एड.	रु. 18.00 प्रति माह (रु. 216.00 वार्षिक)
(iv) एलएल.बी./एलएल.एम.	रु. 15.00 प्रति माह (रु. 180.00 वार्षिक)
(ब) अन्य शुल्क:	
(i) महंगाई शुल्क	रु. 3.50 प्रति माह (रु. 42.00 वार्षिक)
(पप) विकास शुल्क	रु. 30.00 वार्षिक
(iii) निर्धन छात्र कोष	रु. 1.00 प्रति माह (रु. 12.00 वार्षिक)
(iv) प्रवेश शुल्क	रु. 3.00 केवल एक बार
(अ) आकस्मिक शुल्क	रु. 30.00 वार्षिक
(vi) पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष	
(क) स्नातन कक्षाएँ	रु. 30.00 वार्षिक
(ख) परास्नातक कक्षाएँ	रु. 37.50 वार्षिक
(vii) प्रयोगशाला अधिभार	
(क) बी.ए./एम.ए.	रु. 25.00 वार्षिक
(ख) बी.एससी./बी.एससी. (कृषि)	रु. 35.00 वार्षिक
(ग) एम.एससी./एम.एससी. (कृषि)	रु. 50.00 वार्षिक
(viii) छात्र कल्याण कोष:	
(अ) बी.एड./एम.ए.	रु. 18.00 वार्षिक
अन्य	रु. 12.00 वार्षिक

- (ix) मेडिकल शुल्क
(अ) आवासीय रु. 20.00 वार्षिक
अन्य रु. 12.00 वार्षिक
2. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा निर्धारित शुल्क
- (अ) प्रयोगशाला शुल्क:
(i) बी.एससी. रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(ii) बी.एससी. (कृषि) रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(iii) बी.ए. (भूगोल, मनोविज्ञान, सैन्य अध्ययन, चित्रकला, संगीत तथा गृह विज्ञान) रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(iv) एम.एससी. (रसायन विज्ञान) रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(अ) एम.एससी. (भौतिक, सांख्यिकी, वनस्पति, जन्तु तथा भूगर्भ विज्ञान, कृषि) रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
(vi) एम.ए. (मनोविज्ञान, चित्रकला तथा संगीत) रु. 20.00 प्रति विषय प्रतिमाह
- (ब) शोध शुल्क:
(i) पीएच.डी. शुल्क (कला शिक्षा, वाणिज्य, विधि संकाय तथा गणित) रु. 1200.00 वार्षिक
(ii) पीएच.डी. शुल्क (विज्ञान तथा कृषि संकाय) रु. 2400.00 वार्षिक
- (स) अन्य शुल्क :
(i) स्थानान्तरण (टी.सी.) प्रमाण-पत्र रु. 2.00 वार्षिक
(ii) पंजीकरण रु. 2.00 वार्षिक
(iii) परिचय-पत्र रु. 8.00 वार्षिक
(iv) क्रीड़ा रु. 200.00 वार्षिक
(अ) विद्युत शुल्क रु. 480.00 वार्षिक
(vi) मौसम शुल्क रु. 24.00 वार्षिक
(vii) पत्रिका शुल्क रु. 80.00 वार्षिक
(viii) वार्षिक समारोह/दीक्षान्त समारोह, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रम :
(क) दो हजार छात्र संख्या से ऊपर रु. 6.00 प्रति छात्र
(ख) दो हजार छात्र संख्या से नीचे रु. 10.00 प्रति छात्र
(ix) कॉलेज भवन रख-रखाव शुल्क रु. 30.00 प्रति छात्र
(आवासीय भवनों तथा अतिथिगृह के रखरखाव को छोड़कर)
(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क रु. 50.00 वार्षिक
- College Building repairing fee shall be deposited in a Nationalised Bank and account shall be operated by the Principal. It shall be spent in the repairing and upkeep of the College building only.
- कॉलेज भवन रखरखाव शुल्क राष्ट्रीकृत बैंक में जमा किया जायेगा तथा प्राचार्य द्वारा यह खाता संचालित होगा। यह धन केवल कॉलेज भवन के ही रख-रखाव पर व्यय किया जायेगा।
- (xi) साइकिल स्टैण्ड फीस रु. 300.00 वार्षिक
मोपेड, स्कूटर एवं मोटर साइकिल स्टैण्ड फीस रु. 500.00 वार्षिक
चार पहिया वाहन रु. 15.00 प्रति दिन
(केवल वाहन लाने वाले विद्यार्थियों के लिए)
- (द) विश्वविद्यालय परीक्षा एवं नामांकन शुल्क
(i) नामांकन शुल्क रु. 300.00 वार्षिक
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम की परीक्षा शुल्क:

- (अ) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है। रु. 1000.00 वार्षिक
 वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होती हैं। रु. 1200.00 वार्षिक
- स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम की परीक्षा शुल्क:
- (अ) वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है। रु. 1500.00 वार्षिक
 वे पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होती हैं। रु. 1700.00 वार्षिक
- एन.सी.सी. लेने वाले छात्र/छात्राओं को 1000/- प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। जिसे एन.सी.सी. छोड़ने पर देय राशि, यदि कोई हो, की कटौती के साथ वापस कर दी जायेगी।

आगरा कॉलेज, आगरा

Annual Fees Chart-2020-21

Name of Courses	For Boys	For Girls	
Courses of Science Faculty			
B.Sc. (Bio)	₹.4512.00	₹.4380.00	
B.Sc. (Maths)	₹.4272.00	₹.4140.00	
M.Sc. (All Subjects)	₹.4302.50	₹.4122.50	
Courses of Arts Faculty			
B.A. (Without Practical)	₹.3557.00	₹.3425.00	
B.A. (With One Practical)	₹.4022.00	₹.3890.00	
B.A. (With Two Practical)	₹.4262.00	₹.4130.00	
M.A. (Without Practical)	₹.3812.50	₹.3632.50	
M.A. (With Practical)	₹.4312.50	₹.4122.50	
Courses of Law Faculty			
LL.B.	₹.3307.00	₹.3127.00	
LL.M.	₹.3974.50	₹.3974.50	
Courses (Self Finance Scheme)			
B.Com. - Ist Year		₹.12,875.00	
B.Com. - IInd / IIIrd Year		₹.12,075.00	
B.Sc. (Biotech.) - Ist Year		₹.35,875.00	
B.Sc. (Biotech.) - IInd / IIIrd Year		₹.35,075.00	
P.G. Diploma in Journalism		₹.15,470.00	
B.Ed. - Ist Year		₹.51,250.00	
B.Ed. - IInd Year		₹.30,000.00	
B.A.LL.B.		₹.14,700.00	
Certificate Course in Computer Application		₹.6,200.00	
Certificate Course in Journalism		₹.6,200.00	
Certificate Course in Biostatistics & Industrial Applications		₹.6,200.00	
	Ist Semester	IInd Semester	Total
BCA	17,329.00	14,250.00	₹.31,579.00
BBA	17,129.00	14,250.00	₹.31,379.00

नोट : विश्वविद्यालय/शासन के निर्देशों की प्रव्यासा में रु. 50/- की क्रीड़ा शुल्क में वृद्धि संभावित है।

छात्रावास

1. आगरा कॉलेज में दूरस्थ छात्रों को रहने की सुविधा के लिये सात छात्रावास हैं। सभी छात्रावासों में छात्रों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। छात्रावास निम्नलिखित हैं।

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. रानी लक्ष्मीबाई छात्रावास (आर.एल.बी.) | केवल छात्राओं के लिये |
| 2. पं. के. डी. मालवीय छात्रावास | छात्रों के लिये |
| 3. सी.एस.ए. छात्रावास | छात्रों के लिये |
| 4. सप्रू छात्रावास | छात्रों के लिये |
| 5. शहीद भगत सिंह छात्रावास | छात्रों के लिये |
| 6. थामसन छात्रावास | छात्रों के लिये |
| 7. बी.एन. छात्रावास | छात्रों के लिये |

छात्रावासों की देखरेख के लिये समुचित प्रबन्ध रहता है। प्रत्येक छात्रावास के पृथक-पृथक संरक्षक होते हैं। सभी संरक्षक छात्रावास परिषद के सदस्य होते हैं जो छात्रों के हितों का ध्यान रखते हैं।

2. कॉलेज के छात्रावास (छात्र एवं छात्राओं के लिये)- कॉलेज के सभी छात्रावास प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के छात्रों के लिए खुले हैं। इनमें एक छात्रावास छात्राओं हेतु है। छात्रावासों में स्थान सीमित होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश देना सम्भव नहीं है। कॉलेज में विधिवत प्रविष्ट छात्र-छात्राएँ छात्रावास में योग्यता के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे। प्रत्येक छात्रावासी को एक-एक मेज, कुर्सी, चारपाई तथा स्टूल उपलब्ध होगा।

3. छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रावास कार्यालय से आवेदन-पत्र नियमावली सहित समूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

4. (अ) छात्रावास की वार्षिक फीस का विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	किन कक्षाओं हेतु	वार्षिक शुल्क
1.	सप्रू छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	15,000.00
2.	थामसन छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	15,000.00
3.	बी.एन. छात्रावास	स्नातक छात्रों हेतु	15,000.00
4.	शहीद भगत सिंह छात्रावास	विधि कक्षाओं हेतु	15,000.00
5.	रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास	स्नातक एवं	
	पुराना अनुभाग:-	स्नातकोत्तर छात्राओं हेतु	15,000.00
	नवीन अनुभाग:-	इंजीनियरिंग	
		तथा टैक्नो. संकाय छात्राओं हेतु	17,000.00
6.	पं. के. डी. मालवीय छात्रावास	इंजी. तथा टैक्नों. संकाय छात्रों हेतु	17,000.00
7.	चन्द्रशेखर आजाद छात्रावास	इंजी. तथा टैक्नों. संकाय	17,000.00

छात्रों हेतु

नोट : छात्रावास की पूरी फीस प्रवेश के समय एक ही किस्त में देय होगी।

(ब) उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित धनराशि भी देय होगी-

- (i) सभी छात्र-छात्राओं से जनरेटर शुल्क रु. 500/- वार्षिक अतिरिक्त देय होगा।
- (ii) सभी छात्र-छात्राओं को रु. 5,000/- धरोहर राशि सभी शुल्कों सहित प्रथम प्रवेश के साथ अलग से देय होगी, जिसे छात्रावास छोड़ने पर देय राशि कटौती (यदि लागू है) के साथ वापस होगी।
- (iii) सिंगल सिटेड कमरे के रु. 7500/- वार्षिक शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- (iv) छात्र/छात्राओं द्वारा कूलर उपयोग करने पर प्रति माह प्रति कूलर रु. 500/- अतिरिक्त देय होगा।

नोट- अतिरिक्त जल व्यय एवं अतिरिक्त बिजली व्यय होने की दशा में प्रति छात्र से वह औसत के रूप में लिया जायेगा।

5. छात्रवृत्ति- छात्रावास के योग्य विद्यार्थियों को कालविन छात्रवृत्तियाँ 10 माह के लिए दी जायेंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति रु. 10 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी होगी। उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र मुख्य संरक्षक के पास निर्धारित तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

टिप्पणी:- (i) उपर्युक्त नियमों को सत्र के मध्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है जो परिवर्तन के बाद अविलम्ब लागू समझे जायेंगे।

(ii) छात्रावासों में प्रवेश संरक्षक की संस्तुति पर ही किये जायेंगे।

6. सेवारत अथवा नगर में रहने वाले छात्रों को छात्रावास को पूरे सत्र की फीस देनी होगी।
7. सत्र के मध्य में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को पूरे सत्र की फीस देनी होगी।

छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार

1. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, केन्द्रीय सरकार, रेलवे एवं प्रादेशिक सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त आगरा कॉलेज मेधावी एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को विभिन्न छात्रवृत्तियाँ देता है।
2. सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण उ. प्र. शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत एक समिति के द्वारा होता है, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्राचार्य एवं सदस्य प्राचार्य द्वारा वर्गवार नामित शिक्षक होते हैं। छात्रवृत्ति के पात्र सभी छात्र-छात्राओं को प्रवेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृत्ति का फार्म जमा करना अनिवार्य है।
3. उपर्युक्त एवं योग्य विद्यार्थियों की सम्पूर्ण संख्या 10: के हिसाब से पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं 15 : के हिसाब से अर्द्ध शुल्क मुक्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी सहायता कोष से शुल्क मुक्ति एवं परीक्षा शुल्क भी प्रदान की जाती है। रियायतें उसी स्थिति में वर्ष भर लागू रहती है जबकि विद्यार्थी की अच्छी प्रगति और शिष्ट आचरण हो।

4. शुल्क मुक्ति के लिए कार्यालय से छपे हुए प्रार्थना-पत्र मिलते हैं, जिनके मिलने तथा जमा करने की तिथियाँ कार्यालय सूचना पट-पर चस्पा कर दी जाती है। इसके परिणाम प्रायः अक्टूबर/नवम्बर तक घोषित कर दिये जाते हैं। किसी भी स्थिति में प्रवेश से पूर्व इन पर कोई विचार तथा निर्णय नहीं होता।
5. किसी भी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति दोनों एक साथ नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तथा इन परीक्षाओं के विभिन्न विषयों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सत्र के समापन की पूर्व बेला में महाविद्यालय की ओर से पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है।

केन्द्रीय पुस्तकालय

कॉलेज के केन्द्रीय ग्रन्थालय का अपना एक पृथक भवन है, जिसमें पाठ्य सामग्रियों की व्यवस्था तथा पाठकों की सुविधा के लिए अनेक अनुविभाग हैं। संकलन में उच्च कोटि की पाठ्य सामग्रियाँ सम्मिलित हैं जिनमें कोर्स बुक तथा शोध की सामग्रियों का बाहुल्य है। वर्तमान में 1.5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें शोध-पत्रिकाओं की सजिल्द प्रतियाँ भी हैं। अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए 300 से अधिक शोध स्तरीय, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञान की देशी एवं विदेशी पत्रिकाएँ मंगाई जाती हैं, जिनकी प्रतियों को सुरक्षित रखा जाता है।

केन्द्रीय ग्रन्थालय लगभग 12 घण्टे खुला रहता है। लाइब्रेरी कार्ड पर दो पुस्तकें 15 दिनों के लिए घर पढ़ने के लिए प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय ग्रन्थालय के अतिरिक्त विभागों में भी ग्रन्थालय हैं, जिनमें उच्चकोटि के ग्रन्थ एवं पत्र-पत्रिकाएँ मंगाई जाती हैं।

बुक बैंक

पर्याप्त धनराशि की लागत से एक टैक्स्ट बुक-बैंक की भी स्थापना की गयी है, जहाँ से निर्धन तथा योग्य सभी विषयों के छात्र एवं छात्राओं को साल भर के लिए पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके लिए पृथक आवेदन-पत्र देना पड़ता है। सभी पुस्तकें सत्र के अन्त में परीक्षा से पूर्व लौटाना अनिवार्य है।

एन.सी.सी.

कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं के लिए एन.सी.सी. का प्रावधान है। महाविद्यालय में एन.सी.सी. की आर्मी, गर्ल्स एवं एयर विंग हैं, जिनके अन्तर्गत क्रियात्मक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य सेना की तीनों विंगों के लिए सुयोग्य व्यक्ति तैयार करना है।

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं प्रौढ़ शिक्षा

कॉलेज में छात्र एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय सेवायोजना (NSS) की व्यवस्था भी है, जिसका कार्य राष्ट्र-निर्माण में छात्र-छात्राओं को योगदान देना है। राष्ट्रीय सेवा योजना में केवल बी.ए./ बी.एससी. के छात्र-छात्राएँ ही प्रवेश पा सकते हैं। प्रवेश साक्षात्कार के आधार पर होता है, जिसके

प्रमाण-पत्रों के आधार पर बी.एड. तथा अन्य कक्षाओं के प्रवेश में अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की छः इकाइयाँ हैं जिनके अलग-अलग योजना अधिकारी हैं, जो समाज सेवा के कार्यों में छात्र-छात्राओं का पथ-प्रदर्शन करते हैं।

रोवर्स रेंजर्स

छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु कॉलेज में रोवर्स रेंजर्स यूनिट संचालित हैं।

खेलकूद एवं चिकित्सालय सुविधायें

कॉलेज में विभिन्न षटकवत और लजकवत खेलों की सुविधा है। कॉलेज का सुन्दर क्रीड़ा स्थल है जहाँ पिंगपोंग, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केट बॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन आदि खेलों के खेलने की समुचित व्यवस्था है। एक बड़ा जिम्मेजियम हॉल है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। छात्राओं के लिए खेलकूद की पृथक व्यवस्था है। कॉलेज का एक चिकित्सालय है, जिसमें योग्य चिकित्सक एवं कम्पाउण्डर छात्रों की देखरेख करते हैं।

छात्र-कल्याण केन्द्र

छात्र कल्याण केन्द्र में वर्षभर विद्यार्थियों की महाविद्यालय सम्बन्धी विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर उन्हें मार्ग-दर्शन दिया जाता है तथा सूचनाओं, रोजगार सम्बन्धी विज्ञापनों आदि से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। इन्डोर गेम्स, टी.वी. एवं वी.सी.आर. के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियाँ भी इसी केन्द्र द्वारा संचालित होती हैं।

शुल्क (Fees)

1. सभी प्रकार के शुल्क कॉलेज परिसर में स्थित केनरा बैंक में जमा किये जाते हैं।
2. यदि शुल्क यथा समय जमा न करने से अथवा अन्य किसी कारण से नाम कट जाने से उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह जाती है, तो ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे।
3. विश्वविद्यालय को नामांकन फार्म तभी अग्रसारित किये जायेंगे, जबकि छात्र उस समय तक सम्पूर्ण शुल्क जमा करा देगा।
4. कुल फीस एक ही किस्त (इस्टॉलमेण्ट) में देय होगी।
5. जिन छात्र-छात्राओं को फीस में रियायत दी जाती है, वे अपनी अतिरिक्त धनराशि जून तक वापिस ले लें अन्यथा कोई वापसी नहीं होगी।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)
अधिसूचना

संशोधित निर्णय	संशोधित निर्णय का स्पष्टीकरण
<p>अधिसूचना संख्या: आर/496/2017 दिनांक: 25.07.2017 जो विद्या परिषद की बैठक दिनांक: 22.06.2017 की संस्तुति के परिपेक्ष में कार्य परिषद की बैठक: 28.06.2017 के कार्य सूची संख्या 21 द्वारा परीक्षा अध्यादेश में निम्नवत् संशोधन को दिनांक 1.07.2017 से प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है।</p> <p>कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22.06.2017 के कार्य सूची संख्या 02 के अन्तर्गत निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अंग्रेजी भाषा, हिन्दी भाषा, संस्कृत भाषा, को बैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जायेगा। 2. स्नातक स्तर पर राष्ट्र गौरव, पर्यावरण अध्ययन एवं शारीरिक शिक्षा के स्थान पर प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के नाम से एक प्रश्न-पत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यदि छात्र प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, ऐसे छात्रों को तृतीय वर्ष में इस प्रश्न-पत्र में परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। 3. शारीरिक शिक्षा को एक बैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाय (बी.कॉम. को छोड़कर)। 4. वाणिज्य संकाय को छोड़कर स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में छात्र तीन विषयों को अध्ययन करेगा तथा तृतीय वर्ष में केवल दो विषयों में ही अध्ययन ही करेगा। <p>कार्य परिषद द्वारा पूर्व (पुराने) सम्बन्धित अध्यादेश की 1.07.2017 से निष्प्रभावी भी मामले/करने की सहमति प्रदान की गयी।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सत्र 2017-18 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्र तीन ऐच्छिक विषय ही पढ़ेगा। एक अनिवार्य विषय के रूप में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण विषय का ही चयन करेगा। 2. कोई भी छात्र सत्र 2017-18 स्नातक प्रथम वर्ष में तीन भाषा तीन साहित्यिक विषय एवं तीन प्रयोगिक विषय नहीं ले सकता है साथ ही कोई भी छात्र अंग्रेजी भाषा के साथ अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी भाषा के साथ हिन्दी साहित्य एवं संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत साहित्य एक साथ नहीं ले सकता। 3. (अ) सत्र 2017-18 में प्रवेशित छात्र स्नातक कला/विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष में तीन ऐच्छिक विषयों ने ही अध्ययन करेगा। (ब) छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण विषय के प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण होता है तो वह स्नातक प्रथम वर्ष के पुनः परीक्षा में सम्मिलित होगा यदि वह पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह स्नातक द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण के प्रश्नपत्र में सम्मिलित होगा। 4. सत्र 2017-18 में प्रवेशित छात्र स्नातक कला/विज्ञान संकाय तृतीय वर्ष में दो ऐच्छिक विषय के रूप में रहेगा। 5. स्नातक प्रथम वर्ष बी.ए./बी.एस.सी. में शारीरिक शिक्षा अब अनिवार्य विषय के रूप में न होकर ऐच्छिक विषय के रूप में लिया जा सकेगा। 6. सत्र 2017-18 में (वाणिज्य संकाय) में प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में तीनों ग्रुप में ही अध्ययन करेगा। 7. स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष सत्र 2016-17 में प्रवेशित छात्र जिनकी

परीक्षा नियंत्रक

स्नातक पाठ्यक्रम
त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारूप
B.A./B.Sc. (T.D.C.) Course

Ist Year T.D.C.

Each Students will offer:

- (1) **Compulsory Course - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण**
- (2) **3 Core Courses**
- (3) **One Additional subsidiary core subject for B.A. students only, either General English or Hindi Language.**

IInd Year T.D.C.

- (1) **Core Course offered in T.D.C. Ist year will continue in 2nd year.**
- (2) **One additional subsidiary core course for B.A. Part I Students to continue 2nd year**

IIIrd year T.D.C.

Each Students will offer:

- (1) **Two optional courses to continue.**
- (2) **One additional subsidiary core course for B.A. Part I Students to continue in 3rd year.**

कला संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

बी.ए. प्रथम वर्ष

त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के बी.ए. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होगा-

- (अ) अनिवार्य विषय - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण
- (ब) ऐच्छिक विषय

प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से ही प्रत्येक विद्यार्थी को तीन विषय चुनने होंगे-

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. हिन्दी साहित्य (Hindi Literature) | 8. समाज शास्त्र (Sociology) |
| 2. संस्कृत साहित्य (Sanskrit Lit.) | 9. मनोविज्ञान (Psychology) |
| 3. अंग्रेजी साहित्य (English Lit.) | 10. सैन्य विज्ञान (Military Studies) |
| 4. दर्शनशास्त्र (Philosophy) | 11. चित्रकला (Drawing & Painting) |
| 5. अर्थशास्त्र (Economics) | 12. गणित (Mathematics) |
| 6. इतिहास (History) | 13. संगीत (Music) |
| 7. राजनीतिशास्त्र (Political Science) | 14. शारीरिक शिक्षा (Physical Education) |
- विषयों पर प्रतिबन्ध

कॉलेज की समय-सारिणी की सीमाओं के कारण निम्नलिखित विषय समुदाय को विद्यार्थी नहीं ले सकेंगे-

1. तीनों साहित्य हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी एक साथ नहीं लिये जा सकते हैं।
2. एक साथ तीन प्रयोगात्मक विषय नहीं लिये जा सकते हैं।
3. सैन्य विज्ञान, मनोविज्ञान, एवं चित्रकला में से कोई दो विषय लेने होंगे।
4. गणित के साथ समाजशास्त्र नहीं लिया जा सकता।
5. छात्राये भी सैन्य विज्ञान (Military Science) विषय के रूप में ले सकती हैं।
6. छात्र भी संगीत (Music) विषय के रूप में ले सकते हैं।

विज्ञान संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एससी. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना है-

(अ) अनिवार्य विषय - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण

(ब) ऐच्छिक विषय- Three Core Courses

विद्यार्थियों को निम्नलिखित गुणों में से ही किसी गुण को चुनना है।

Biology (Group A)

- | | | | |
|-----------------|------------------|---------|---|
| (1) Chemistry | Botany | Zoology | Phy. Edu. Mathematics (Group B) |
| (1) Mathematics | Chemistry | Physics | |
| (2) Mathematics | Statistics | Physics | Chemistry / Economics / Physical Education |
| (3) Mathematics | Military Science | Physics | Chemistry / Statistics / Physical Education |

बी.एससी. (बायोटेक)

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एससी. बायोटेक (प्रथमवर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित विषयों को अध्ययन करना है-

(अ) अनिवार्य विषय : - व्यवहारिक ज्ञान (Behavior Science)

(ब) ऐच्छिक विषय:- 1. Bio Tech 2. Botany 3. Chemistry

वाणिज्य संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बी.कॉम. (प्रथमवर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना है-

(अ) अनिवार्य विषय - राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण

(ब) ऐच्छिक विषय- Three Core Courses

Group-A (Business Administration) Group-B (Accounts & Law)
Group-C (Applied Business Economics)

पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय
पी. जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम/प्रश्न पत्र :

1. पत्रकारिता स्वरूप एवं विकास
2. समाचार संकलन, संपादन एवं लेखन
3. प्रेस कानून एवं प्रेस प्रबंधन
4. विशेषीकृत पत्रकारिता
5. जनसंचार सिद्धान्त, विज्ञापन एवं जन संपर्क
6. कम्प्यूटर सिद्धान्त एवं प्रयोग
7. प्रायोगिक कार्य/प्रोजेक्ट वर्क
8. प्रोजेक्ट मौखिकी

शिक्षा संकाय (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

द्विवर्षीय पाठ्यक्रम बी.एड. में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होगा -

B.Ed. (First Year)

Course Contains Following Compulsory Subjects -

1. Childhood and Growing up.
2. Contemporary India and Education.
3. Learning and Teaching.
4. Language Across the Curriculum.
5. Understanding Disciplines and School Subjects.
6. Pedagogy of School Subjects (Two Teaching Subjects).
7. Art and Aesthetics.
8. Critical Understanding of ICT.

Practical Work - Internship-I

B.Ed. (Second Year)

Course Contains Following Compulsory Subjects -

1. Knowledge and Curriculum.
2. Assessment for Learning.
3. Creating an Inclusive School.
4. Yoga Education.

Optional Subjects (Choose Any One Paper) -

1. Value Education.
2. Environmental Education.
3. Genders School and Society.

4. Guidance and Counseling.
5. Health and Physical Education
Practical Work - Internship-II

एम. ए. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)

कॉलेज में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. हिन्दी साहित्य (Hindi Literature) | 6. अंग्रेजी साहित्य (English Literature) |
| 2. संस्कृत (Sanskrit) | 7. दर्शनशास्त्र (Philosophy) |
| 3. मनोविज्ञान (Psychology) | 8. इतिहास (History) |
| 4. राजनीतिशास्त्र (Political Science) | 9. अर्थशास्त्र (Economic) |
| 5. गणित (Mathematics) | 10. चित्रकला (Drawing & Painting) |

टिप्पणी- (क) एम.ए. (अर्थशास्त्र) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु बी.ए. अथवा बी.एससी. में अर्थशास्त्र होना अनिवार्य है।

(ख) एम. ए. हिन्दी (पूर्वाब्ध) में प्रवेश हेतु बी.ए. स्तर पर हिन्दी साहित्य वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात रिक्त स्थान रहने पर बी.ए. में सामान्य हिन्दी विषय लिये हुए प्रत्याशियों के प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

(ग) एम.ए. पूर्वाब्ध अंग्रेजी में प्रवेश हेतु बी.ए. स्तर पर अंग्रेजी साहित्य वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात रिक्त स्थान रहने पर बी.ए. में सामान्य अंग्रेजी विषय लिये हुए प्रत्याशियों के प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा।

Note- Candidates of M.A. History may offer only Modern History & Medieval History.

एम.एससी. (प्रथम तथा द्वितीय वर्ष)

कॉलेज में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है-

- | | |
|---------------------------|---|
| भौतिक विज्ञान (Physic) | - इलैक्ट्रॉनिक्स (Electronics) |
| रसायन विज्ञान (Chemistry) | - कार्बनिक (Organic), अकार्बनिक (Inorganic) |
| | भौतिक (Physical) |
| वनस्पति विज्ञान (Botant) | - पादप रोग विज्ञान (Plant Pathology),
औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान
(Industrial Microbiology) |
| जन्तु विज्ञान (Zoology) | - मत्स्य (Fishes), सरीसृप एवं वन्य जीव
(Reptiles & Wild Life), कीट विज्ञान (Entomology) |
| गणित (Mathematics) | - कंप्यूटेशनल न्यूमेरिकल मेथड्स
(Computational Numerical Methods) |
| सांख्यिकी (Statistics) | - ऑपरेशन रिसर्च (Operational Research)
विश्वसनीयता सिद्धान्त (Theory of Reliability) |

नोट:- ऐच्छिक विषय/प्रश्न पत्र प्रदान करने का आधार योग्यताक्रम होगा।

विधि संकाय

(1) एलएल.बी. (i) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (ii) पंचवर्षीय पाठ्यक्रम

(2) एलएल.एम. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

टिप्पणी - कोई विद्यार्थी विधि के अध्ययन के साथ अन्य स्नातकोत्तर अध्ययन नहीं कर सकेगा। उसका प्रवेश केवल एक वर्ष के लिए होगा। दूसरे वर्ष में पुनः प्रवेश लेना होगा।

शोध कार्य

कॉलेज में सभी संकायों के सभी स्नातकोत्तर विभागों में शोधकार्य कराये जाने की सुविधा उपलब्ध है। शोधार्थियों के प्रवेश के लिए अलग से (प्रवेश आवेदन-पत्र सहित) विवरण-पत्रिका कॉलेज कार्यालय में उपलब्ध है।

शोधार्थियों के लिए शिक्षण शुल्क

1. आगरा कॉलेज प्राध्यापकों के अतिरिक्त अन्य सभी शोधार्थी 1200/- (कला वर्ग) तथा 2400/- रु. (विज्ञान वर्ग) प्रतिवर्ष देंगे।
2. जिन शोधार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, उनके द्वारा शिक्षण शुल्क न दिये जाने की स्थिति में उनकी छात्रवृत्ति में से वह शुल्क काट लिया जायेगा।

टिप्पणी- शोधकार्य के साथ कोई भी विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए., एम.एससी., बी.एड., एम.एड., एलएल.बी. अथवा एलएल.एम. की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

महिला विभाग

कॉलेज में बी.ए. एवं बी.एससी. (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) की कक्षाओं के लिए कॉलेज के अन्तर्गत ही एक महिला विभाग (Women's Wing) है, जिसका एक अलग कार्यालय है, जहाँ से छात्राएँ यथा समय विभिन्न सूचनाएँ प्राप्त करती हैं। छात्राओं के लिए अलग छात्रावास की भी व्यवस्था है।

आगरा कॉलेज, आगरा
प्राचार्य-अनुक्रम

1. आर. वर्कले डंकन, एम.डी. (–1836)
2. ई. लोज, बी.ए. (1842–1844)
3. जे. मिडल्टन, एफ.जी.एस., एफ.सी.एस. (1844–1858)
4. टी.बी.केन (1858–1859)
5. डब्ल्यू. ऐण्डरसन, एलएल.डी. (1859–1862)
6. सी.पीयरसन, एम.ए. (1862–1864)
7. के.डाइटन, बी.ए. (1864–1882)
8. ए.थॉमसन, आई.सी.एस. (1882–1901)
9. टी.सी.जोन्स, बी.ए. (1901–1925)
10. ए.जे.फील्डन, एम.ए. (लन्दन), एम.ए. (कैन्टब) (1925–1937)
11. एच.क्रौल, बी.ए., एम.एससी. (1937–1945)
12. डॉ. कर्मचन्द मेहता, पीएच.डी., एससी.डी. (कैन्टब), एफ.एन.आई. (1945–1950)
13. डॉ. निहालकरण सेठी, डी. एससी. (1950–1954)
14. डॉ. हरनारायण सिंह, एम.ए. (इलाहाबाद), पीएच.डी. (लन्दन) (1954–1960)
15. डॉ. मनोहर रे., डी.एससी., एफ.एन.आई., एफ.एन.ए.एससी. (1960–1970)
16. डॉ. शालिग्राम सिन्हा, एम.एससी., पीएच.डी., डी.एफ.ए.एससी. (1970–1973)
17. डॉ. सत्यनारायण दुबे, एम.ए. पीएच.डी. (1973–1977)
18. डॉ. राजेश्वर प्रसाद वर्मा, एम.ए. पीएच.डी. (अलीगढ़) कार्यवाहक प्राचार्य (1977–1979)
19. डॉ. सूरज नारायण श्रीवास्तव, एम.एससी., पीएच.डी. (लखनऊ)
पीएच.डी. (कैम्ब्रिज), डी.एससी. (लखनऊ), एफ.एन.ए.एससी. (1979–1982)
20. डॉ. राजेश्वर प्रसाद वर्मा, एम.ए. (इति एवं दर्शन, पीएच.डी. (अलीगढ़) स्थानापन्न प्राचार्य (1982–1984)
21. डॉ. गोकुल चन्द्र शर्मा, एम.ए. (गणित), पीएच.डी. (आगरा) स्थानापन्न प्राचार्य (1984–1985)
22. डॉ. मुख्तार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी., डी.एससी. (आगरा) एफ.ई.सी.एस.आई. स्थानापन्न प्राचार्य (1985–1985)
23. डॉ. सूरज नारायण श्रीवास्तव, एम.एससी., पीएच.डी., (लखनऊ)
पीएच.डी., (कैम्ब्रिज), डी.एससी. (लखनऊ), एफ.एन.ए.एससी.आई. (1985–1990)
24. डॉ. मुख्तार सिंह, एम.एससी., पीएच.डी., डी.एससी. (आगरा), एफ.ई.सी.एस.आई. (जुलाई 1990–2001)
25. डॉ. (श्रीमती) राजकुमारी शर्मा, एम.एससी. पीएच.डी. (आगरा)
एफ.ए.जैड, कार्यवाहक प्राचार्य (जुलाई 2001–नव. 2002)
26. डॉ. अशोक विक्रम सिंह, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (1 दिसम्बर 2002– 8 दिसम्बर 2002)
27. डॉ. सन्तोष कुमार, एम.एससी. पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (9 दिसम्बर 2002–6 जून 2003)
28. डॉ. कृष्ण मनोहर गर्ग, एम.एससी., पीएच.डी. (आई.आई.टी. दिल्ली) कार्यवाहक प्राचार्य (7 जून 2003–16 जून 2003)
29. डॉ. अशोक विक्रम सिंह, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (17 जून 2003–6 मार्च 2008)
30. डॉ. अनिल कुमार जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (7 मार्च 2008–1 जुलाई 2008)

30. डॉ. अनिल कुमार जौहरी, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (7 मार्च 2008-1 जुलाई 2008)
31. डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (2 जुलाई 2008- 16 जनवरी 2009)
32. डॉ. मनोज कुमार रावत, एम.एससी., पीएच.डी. (17 जनवरी 2009 से 10 अगस्त, 2016)
33. श्री नरेन्द्र सिंह, कार्यवाहक प्राचार्य (12 अगस्त 2016 से 20 मार्च, 2017)
34. डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, एम.एससी., पीएच.डी., कार्यवाहक प्राचार्य (21 मार्च 2017 से 14 दिसम्बर 2018)
35. डॉ. विनोद कुमार माहेश्वरी, एम.ए. (अंग्रेजी व हिन्दी), पीएच.डी. (का. प्राचार्य) (15 दिसम्बर 2018 से 24 जुलाई 2020)
36. डॉ. रेखा पतसारिया, पीएच.डी. (हिन्दी) (24 जुलाई 2020 से 27 सितम्बर, 2020)
37. डॉ. एस. के. मिश्र, डी.फिल. (रसायन शास्त्र) (28 सितम्बर 2020 से सम्प्रति)



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



संख्या : शैक्षिक / 10 / 2021-22

दिनांक : 24 / 08 / 2021

अधिसूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.06.2021 के अनुपालन में सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम अनुमोदित एवं लागू कर दिया गया है। पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के आलोक में प्रारम्भ किया जायेगा। प्रवेश एवं पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं द्वारा चुने जाने वाले विषयों की संरचना एवं पाठ्यक्रम संचालन हेतु दिशा-निर्देश फोर्स के टास्क द्वारा शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20.04.2021 एवं संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी०सी० दिनांक 13.07.2021 के अनुपालन में तैयार कर लिये गये हैं। इस प्रकार सूच्य है कि सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राएं स्नातक स्तर पर प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लेंगे तथा महाविद्यालय छात्रों को पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित विषय संरचना एवं संलग्न दिशा-निर्देश के अनुरूप अध्यापन करायेगें।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 में बीए०, बी०एस०सी एवं बी०कॉम के स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश संलग्न प्रवेश सम्बन्धी नियमावली तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप जारी अन्य सम्बन्धित दिशा निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। भविष्य में जारी शासकीय निर्देशों के अनुक्रम में इस नियमावली व निर्देशों का संशोधित संस्करण या अलग से कोई अन्य अधिसूचना जारी की जा सकती है।

संलग्नक-यथोपरि।

कुलसचिव

संख्या:शैक्षिक / 846 / 2021

दिनांक: 24 / 08 / 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. प्रभारी वेब साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सहायक कुलसचिव प्रशासन/परीक्षा, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार किये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों एवं स्नातक स्तर पर सी०बी०सी०एस० सेमेस्टर सिस्टम को शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20.04.2021, संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 13.07.2021; अपर मुख्य सचिव, उच्च विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 25.06.2021 के द्वारा परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासकीय निर्देश जारी किये गये हैं।

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स ने प्राप्त सभी शासनादेशों को अंगीकृत कर शैक्षिक सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार किये हैं। टास्क फोर्स द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देशों को लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. क्षेत्र:

- 1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत की जा रही व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (बी.टेक, एम.सी.ए. आदि) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 1.2 यह व्यवस्था तीन विषय वाले पाठ्यक्रमों बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०कॉम० के सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होगी।
- 1.3 विधि (बी.ए.एल.एल.बी., बी.एससी.एल.एल.बी., एल.एल.बी., एल.एल.एम. इत्यादि) शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पीएड., एम.पीएड., इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एनईपी-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जाएगा।

2. परिभाषाएं:

2.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)

विद्यार्थी द्वारा चुने गये अपने संकाय में एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री,

पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री, छः वर्ष की पी०जी०डी०आर० तथा शोध उपाधि यथा—बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० इत्यादि।

2.2 संकाय (Faculty)

- 2.2.1 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर जिस संकाय से दो मेजर विषयों का चुनाव करेगा वह संकाय विद्यार्थी का “अपना संकाय” (Own Faculty) कहलायेगा।
- 2.2.2 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 2.2.3 विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।
- 2.2.4 विद्यार्थियों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय। भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी।

2.3 विषय (Subject)- यथा

- 2.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 2.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

2.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)- यथा

- 2.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 2.4.2 थ्योरी और प्राैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

3. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारणी:

- 3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर में प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे।

- 3.2 तीन विषय वाले स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 3.3 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 3.4 बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 3.5 पीएच.डी. कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं विषय चयन की व्यवस्था:

4.1 प्रवेश

- 4.1.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू०आर०एन० नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग/महाविद्यालयों में जमा कर मेरिट अथवा अन्य प्रवेश नियमों, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।
- 4.1.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान कि जाने वाली डिग्री यथा बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।
- 4.1.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी।

4.2 मेजर विषयों का चुनाव

- 4.2.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन महाविद्यालय में मेरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर तक) अथवा पाँच वर्ष (स्नातक व परास्नातक तक) अध्ययन कर सकेगा।
- 4.2.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है।

4.2.3 इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

4.3 मेजर विषयों को बदलने की सुविधा

4.3.1 विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में संकाय अथवा मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.3.2 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

4.4.1 तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

4.4.2 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।

4.4.3 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।

4.4.4 स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक-एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।

4.4.5 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

4.4.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।

4.4.7 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान/महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4.5 रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए पेपर का चुनाव

4.5.1 पाठ्यक्रम के प्रकार: पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं—

- Individual nature — एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम
- Progressive nature — एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

4.5.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे।

4.5.3 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अर्जित किये गए क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराएँगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथारस्थान जोड़ा जा सके।

4.5.4 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट ($3 \times 4 = 12$ क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा।

4.6 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-curricular)

4.6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छह सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।

4.6.2 स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा:—

- प्रथम सेमेस्टर: भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- द्वितीय सेमेस्टर: प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- तृतीय सेमेस्टर— मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

- **चतुर्थ सेमेस्टर:** शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)
 - **पंचम सेमेस्टर:** विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)
 - **षष्ठम सेमेस्टर:** संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास (Communication Skills and Personality Development)
- 4.6.3 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।
- 4.6.4 इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4.7 शोध परियोजना :

- 4.7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०आर० स्तर पर विद्यार्थी को पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।
- 4.7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से संबंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 4.7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।
- 4.7.4 स्नातक स्तर एवं पी०जी०डी०आर० के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 4.7.5 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

5. कौशल-विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश:

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या -1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18.08.2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी:-

5.1 पाठ्यक्रम

- 5.1.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वत् परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।
- 5.1.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आदि के सहयोग से यू०जी०सी०/एन०एस०क्यू०एफ० (NSQF: National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।
- 5.1.3 जिन ट्रेड में यू०जी०सी०/ एन०एस०क्यू०एफ०/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टरनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।
- 5.1.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०यू० की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन करेगा।
- 5.1.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट-15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट-30 घंटों का होगा अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी।

5.3 सीट निर्धारण

कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

5.4 समझौता ज्ञापन (MoU)

- 5.4.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-602/ सत्तर-3-2021-08 (35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जाने अपेक्षित हैं।

- 5.4.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे।
- 5.4.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण/ इन्टरनशिप के लिये विश्वविद्यालयी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धित विभागों से समन्वय करेंगे।
- 5.4.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।
- 5.4.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

6. कक्षाओं हेतु समय-सारणी:

- 6.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- 6.2 सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- 6.3 कॉलेज समय-सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सायं) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टरनशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय-सारणी के पश्चात् करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

- 7.1 विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- 7.2 विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- 7.3 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- 7.4 पूर्व पात्रता (Pre-requisite) के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

8. डिग्री का संकाय एवं पूरा करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश:

- 8.1 विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.4 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक् रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

- 9.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य: थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

- 9.3 **क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण:**— क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या-1816/सत्तर-3-2021 दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।
- 9.4 **वर्षवार/मोड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम:**— विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री; न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- 9.5 **क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि-क्रेडिट की सुविधा:**— एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 9.6 **योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा:**— यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी; परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 9.7 **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं:**— द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 9.8 **छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री:**— तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- 9.9 **बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.):**— यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह

उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

9.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि-क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ:- यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

9.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट :- रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

10.1 क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

10.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

10.3 छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ:

11.1 ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट को जोड़ने की व्यवस्था:- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों (UGC, SWAYAM, MOOCs portals) से 20 प्रतिशत तक या यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपालन में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित किये जाने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।

11.2 विशेष विषय को अन्य शिक्षण संस्थानों से पढ़ने की सुविधा:- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय

पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

11.3 एन०सी०सी० एक लघु-वैकल्पिक विषय (माईनर इलेक्टिव)

- 11.3.1 लघु-वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन०सी०सी० को भी सम्मिलित किया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं०-1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021)
- 11.3.2 लघु-वैकल्पिक पेपर एन०सी०सी० का पाठ्यक्रम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जायेगा। तदनुसार विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति (BoS) एवं अन्य सक्षम समितियों के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी।
- 11.3.3 एन०सी०सी० लघु-वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन०सी०सी० क्रेडिटों के लिये उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा।

12. परीक्षा व्यवस्था:

- 12.1 सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- 12.2 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation: CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 12.3 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- 12.4 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- 12.5 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।
- 12.6 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा
- 12.6.1 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों/ महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी

तथा ट्रेनिंग/इन्टरशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा रिकल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।

12.6.2 रिकल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टरशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके रिकल का आकलन कर सकते हैं।

12.6.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

12.6.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

12.6.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं रिकल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

13. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है:

13.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

13.2 द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।

13.3 तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

13.4 चौथे वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

13.5 पांचवे वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty उपाधि प्रदान की जायेगी।

13.6 छठे वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे

उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शोध) (P.G.D.R. – Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

- 13.7 प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) शोध-प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.8 यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- 13.9 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी; महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- 13.10 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

संलग्नक: 1. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना।

2. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बनाने हेतु संरचना प्रारूप।

Manoj K. Srivastava
18.08.2021

(प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान, आगरा।

18/8/21

(प्रो० अजय तनेजा)

निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०

18.08.2021

(प्रो० वी०के० सरस्वत)
निदेशक, आई०ई०टी०

Vijay Singh
18/8/21

(डॉ० वी०के० सिंह)
ऐसो० प्रो०, जन्तु विज्ञान
आगरा कॉलेज, आगरा

Sanjay Jain
18.08.21

(डॉ० संजय जैन)
ऐसो० प्रो०, सांख्यिकी विभाग,
सेन्ट जोन्स कॉलेज, आगरा

(कुंलसिंह)

संलग्नक-1

स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Sem	Subject I		Subject II		Subject III		Subject IV		Vocational		Co-Curricular		In-house Training		Maximum Credits for 1st year	Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/Degree
		Major	Credits	Major	Credits	Major	Credits	Minor	Credits	Minor	Credits	Minor	Credits	Major	Credits		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	45	(146)
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	45	Certificate in Faculty
	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	45	Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	6	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	45	(1122)
2	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	(1184)
	VII	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	(1222)
3	IX	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	Master in Faculty
	X	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	(1243)
	XI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	Ph.D. in Subject
	XII	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	5	1 (4/5/6)	1	1	1	1	1	4	4	40	

संलग्नक-2

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-					
Nodal Department of HEI to run course					
Broad Area/Sector-					
Sub Sector-					
Nature of course - Independent / Progressive					
Name of suggestive Sector Skill Council					
Alienated NSQF level					
Expected fees of the course -Free/Paid					
Stipend to student expected from industry					
Number of Seats-.....					
Course Code-.....					Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Max Marks...100..... Minimum Marks.....					
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT					
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)					
Syllabus					
Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
Suggested Readings:					
Suggested Digital platforms/ web links for reading-					
Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner					
Suggested Continuous Evaluation Methods:					
Course Pre-requisites:					
<ul style="list-style-type: none"> No pre-requisite required, open to all To study this course, a student must have the subject in class/12th/ certificate/diploma If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series. 					
Suggested equivalent online courses:					
Any remarks/ suggestions:					
Notes:					
<ul style="list-style-type: none"> Number of units in Theory/Practical may vary as per need Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15) Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60) 					

[Handwritten signatures]